वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 04.07.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि0 04.07.2025

8 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला वीडीए का बुलडोजर

वाराणसी। वीडीए ने बृहस्पतिवार को चितईपुर के नगवां में लेन नंबर-6, गौतम नगर में 8 बीघे भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जमीन पर अज्ञात की ओर से बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लॉटिंग की जा रही थी। मौके पर जोन-4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला रहे। ब्यूरो

दैनिक जागरण—दि0 04.07.2025

नगवां में आठ बीघे की प्लाटिंग को किया ध्वस्त

जासं, वाराणसी : वीडीए के जोन-4, वार्ड-नगवां के अंतर्गत आठ बीघे में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। गौतमनगर, चितईपुर में अज्ञात व्यक्ति बिना लेआउट के अवैध प्लाटिंग कर रहा था।

न्यायाधीश—दि0 04.07.2025

अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-4,वार्ड-नगवाँ के अंतर्गत 08 बीघे में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-नगवाँ, लेन नं0-6, गौतम नगर, चितईपुर के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए 08 बीघे में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी , जिसे दिनांक 03/07/2025 को उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 04.07.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की परवर्तन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी। जोन–4,वार्ड–नगवाँ के अंतर्गत 08 बीघे में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड–नगवाँ, लेन नं0–6, गौतम नगर, चितईपुर के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए 08 बीघे में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी , जिसे आज दिनांक 03/07/2025 को उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्षा महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।